

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 130 / 14

संस्थापन दिनांक:-25 / 02 / 14

फाईलिंग नं. 233504001112014

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. प्रकाश पिता बाबूलाल  
उम्र 35 वर्ष, निवासी अमनी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. कुसुमलाल पिता मलुकचंद  
उम्र 33 वर्ष, निवासी उभारिया,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 22.03.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध पशु कूरता अधिनियम की धारा 11 डी, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 व 6/9 तथा म.प्र. कृषि परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6 क एवं 6 ख के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 21.01.2014 को समय शाम 05:10 बजे स्थान गंगाधर ठाकरे के खेत के पास का रास्ता थाना आमला के अंतर्गत गौवंश 7 नग पशु को इस रीति से परिवहन कर रहे थे जिससे की वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हुए एवं गौवंश 7 नग पशु को वध के प्रयोजन के लिए या वध किए जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा तथा बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 7 नग पशु को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जा रहे थे।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी किस्मतराव ने थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि दिनांक 21.01.2014 को वह उसके खेत पर था। तभी गंगाधर ठाकरे के खेत के पास के रास्ते से कुछ

लोग बैल को एक दूसरे के साथ गाथा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते कत्लखाना बांधकर हांकते हुए ले जा रहे हैं। जिस पर उसने तथा उसके आसपास के खेत वालों ने बैलों को रोका जिस पर एक व्यक्ति रुका और दो व्यक्ति भाग गये। पकड़ा गया व्यक्ति ने अपना नाम प्रकाश बताया। अभियुक्त के कब्जे से 7 नग बैल पकड़े गये। फरियादी की सूचना के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त प्रकाश एवं अन्य दो लोग के विरुद्ध अपराध क्र. 63/14 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त प्रकाश से 7 नग गौवंश जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। गौवंश का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर गौवंश 7 नग पशु को इस रीति से परिवहन किया जिससे की वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हुए ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर गौवंश 7 नग पशु को वध के प्रयोजन के लिए या वध किए जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 7 नग पशु को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जाते हुए परिवहन किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण**

5 किस्मतराव (अ.सा.-1), संदीप (अ.सा.-2) एवं गुलाबराव (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वे अभियुक्तगण को नहीं जानते

हैं। घटना लगभग चार वर्ष पूर्व की ग्राम तिरमउ स्थित खेत की है। उनके खेत पर कुछ जानवर गाय बैल चर रहे थे जो कि उनके गांव के नहीं थे। तब उनके द्वारा पुलिस को इस बात की जानकारी दी गयी। फिर पुलिस मौके पर आयी और जानवरों को स्कूल में बंधवा दिया। संदीप (अ.सा.-2) एवं गुलाबराव (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह भी प्रकट किया है कि उनके समक्ष किसी ने भी जानवरों को मारते पीटते वध करने के लिए नहीं ले गया था।

6 किस्मतराव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह भी प्रकट किया है कि पुलिस जब मौके पर आयी थी तब मौके पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर ली गयी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी के सामने जानवरों को जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था और जानवरों को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिया गया था जिसका पंचनामा (प्रदर्श प्री-3) है जिस पर भी उसके हस्ताक्षर हैं। दूसरे दिन पुलिस ने गाड़ी भिजवाकर जानवरों को गौशाला भिजवा दिया था। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जानवर किसके थे और उन्हें कौन लेकर आया था।

7 साक्षी किस्मतराव (अ.सा.-1), संदीप (अ.सा.-2) एवं गुलाबराव (अ.सा.-3) से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा जानवरों को मारते पीटते महाराष्ट्र तरफ ले जाने के सुझाव को गलत बताया है तथा अभियुक्तगण से जानवरों को जप्त किये जाने की बात को भी गलत बताया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

8 साक्षी मिटठू (अ.सा.-4) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। गंगाधर (अ.सा.-6) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे पता चला था कि गांव में जानवर लेकर आये हैं और स्कूल में रखे हैं तो वह भी देखने के लिए गया था। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) एवं अस्थायी सुपुर्दनामा (प्रदर्श प्री-3) पर अपने हस्ताक्षरों से भी इनकार किया है। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य उपलब्ध है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन अपने मामले को प्रमाणित नहीं कर पाया है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जावे। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में मात्र स्वतंत्र साक्षीगण के समर्थन न किये जाने से ही अभियोजन के संपूर्ण मामले को संदेहास्पद नहीं माना

जा सकता। अभिलेख पर विवेचक साक्षी एवं चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य उपलब्ध है जिनकी साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से यह देखा जाना है कि अभियोजन का मामला प्रमाणित होता है अथवा नहीं।

11 बिसन सिंह (अ.सा.-8) का कहना है कि वह दिनांक 21.01.2014 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे सूचना मिली थी कि कुछ लोग मवेशी को एक दूसरे को गांथा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते कत्लखाने ले जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु वह ग्राम तिरमउ गंगाधर ठाकरे के खेत पर पहुंचा जहां प्रकाश एवं अन्य दो लोग बैल को जकड़कर बांधकर बेरहमी से मारते पीटते ले जा रहे थे जिस पर उसने मौके पर किस्मतराव की रिपोर्ट पर 0/14 पर देहाती नालसी (प्रदर्श प्री-1) पंजीबद्ध की एवं मौके पर 7 नग बैल जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था तथा जप्तशुदा बैलों को (प्रदर्श पी-3) के सुपुर्दनामे अनुसार किस्मतराव को अस्थायी सुपुर्दनामा पर दिया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने दिनांक 21.01.2014 को अभियुक्त प्रकाश एवं कुसुमलाल को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-11 एवं प्रदर्श पी-12 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था।

12 डॉ. डी.के. साहू (अ.सा.-5) ने दिनांक 21.01.2014 को पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को उसने थाना प्रभारी आमला के कार्यालय से 7 जप्तशुदा बैलों का परीक्षण करने बाबत पत्र प्राप्त होने पर उसने दिनांक 22.01.2014 को ग्राम तिरमउ जाकर एक बैल काला, एक सफेद, एक ब्राउन, एक सफेद, एक ब्लेक विथ व्हाइट स्टार एवं एक ब्लेक बैल का परीक्षण किया था जिसमें सभी बैल कमजोर एवं एमीशिएटेड हड्डियां दिख रही थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि यदि उक्त पशुओं की देखभाल की जाती तो वे कृषि कार्य हेतु उपयोगी थे। साक्षी ने उसके द्वारा बैलों की मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) को प्रमाणित भी किया है।

13 प्रधान बिसनसिंह (अ.सा.-8) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जब वह सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा था तब अभियुक्त प्रकाश एवं अन्य दो लोग बैल को जकड़कर, बांधकर बेरहमी से मारते पीटते ले जा रहे थे परंतु चिकित्सक साक्षी डॉ. डी.के. साहू (अ.सा.-5) ने बैलों का परीक्षण किये जाने पर मात्र जानवरो का कमजोर होना बताया है। अपने मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी जानवर के शरीर पर बाहरी चोट का उल्लेख नहीं किया है। अभियोजन कथा अनुसार बैलों को हांकते हुए एवं मारते पीटते हुए कत्लखाना महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। घटना स्थल ग्राम तिरमउ में गंगाधर ठाकरे का खेत है। अभियुक्तगण द्वारा पैदल जानवरों को महाराष्ट्र तरफ ले जाया जाना असंभव एवं अस्वाभाविक प्रतीत होता है। जानवरों के चिकित्सकीय परीक्षण में कोई भी बाहरी चोट नहीं पायी गयी है इसलिए इस बात की संभावना भी प्रतीत नहीं होती है कि अभियुक्तगण द्वारा उन्हें मारा पीटा जाकर चोट पहुंचाकर क्रूरता कारित की गई।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर पशुओं का वध के प्रयोजन हेतु परिवहन किया, उन्हें अनावश्यक पीड़ा या यात्ना देकर कूरता की एवं बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के जानवरों को बेरहमी से मारते पीटते हुए वध हेतु ले जाकर परिवहन किया। फलतः अभियुक्तगण प्रकाश एवं कुसुमलाल को पशु कूरता अधिनियम की धारा 11 डी, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 व 6/9 तथा म.प्र. कृषि परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6 क एवं 6 ख के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 प्रकरण में जप्तशुदा 7 नग गौवंश आवेदक प्रकाश पिता बाबूलाल एवं कुसुमलाल पिता मलुकचंद को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिये गये हैं। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार गौवंश का निराकरण किया जावे।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रालिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)